कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक–   राँची, दिनांक–   ~~–08–2018~~

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा–खापेबेरा, पीरटाँड़ में 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन निर्माण हेतु (प्रस्ताव संख्या –FP/JH/VELEC/34134) कुल –0.5139 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– 1. इस कार्यालय का ज्ञापांक 143 दिनांक 24.02.2020

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार का पत्रांक 1020 दिनांक 19.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र 1 द्वारा विषयगत परियाजना के प्रस्ताव पर दो पृच्छित बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा गया था।

राज्य सरकार ने प्रासंगिक पत्र 2 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या 2 के संबंध में प्राप्त मंतव्य के आलोक में Part-II में Online सुधार कर, संशोधित Part-II की हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधीन संबंधित पदाधिकारियों के स्तर से वांछित सुधार कर इसकी Online प्रविष्टि कर प्रस्ताव अग्रसारित करते हुए संशोधित Part-II की हस्ताक्षरित प्रति हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 324   दिनांक 21/05/2020

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह, पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे Part –II में Online सुधार कर प्रस्ताव Online माध्यम द्वारा अग्रसारित करेगें तथा Uploaded संशोधित Part-II की हस्ताक्षरित प्रति उचित माध्यम द्वारा उपलब्ध कराने हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

झारखण्ड सरकार

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह–815316

Email: cf-giridih@gov.in, cfgiridih@gmail.com

ज्ञापांक :– 513 गिरिडीह / दिनांक :– 02-07-2020

प्रतिलिपिः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि Part-II में Online सुधार कर प्रस्ताव Online माध्यम द्वारा अग्रसारित करेगें तथा uploaded संशोधित Part-II की हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

02-07-2020

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल गिरिडीह।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–52/2019– 1020 व०प०, राँची, दिनांक– 19/03/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा–खापेबेरा, पीरटांड में 33/11 K.V. सब–स्टेशन निर्माण हेतु (प्रस्ताव संख्या–FP/JH/VELEC/34134/2018) कुल–0.5139 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–143 दिनांक–24.02.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1327 दिनांक–30.09.2019 द्वारा संसूचित किया गया है कि विषयक प्रस्ताव के Part-II के कंडिका–8(iii) में प्रविष्ट सूचना 'Yes' है। पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी के ESZ की अधिसूचना (So. 2795E dated-05.08.2019) भारत सरकार द्वारा निर्गत की जा चुकी है एवं परियोजना का प्रस्तावित स्थल ESZ अधिसूचित सीमा से बाहर है। अतः उक्त कंडिका में 'No' प्रविष्ट करना अपेक्षित है।

विषयक प्रस्ताव के Part-II के कंडिका–8(iv) में प्रविष्ट की गई पृच्छा 'Yes' है। प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से 1 कि0मी0 के अंदर National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve, Tiger Reserve एवं Elephant Corridor अवस्थित नहीं है। अतः उक्त कंडिका में 'No' प्रविष्ट करना अपेक्षित है।

वर्णित स्थिति में उपलब्ध कराये गये मंतव्य के आलोक में Part-II में Online सुधार कर, संशोधित Part-II की हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

19/3/20

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–52/2019– 1020 व०प०, राँची, दिनांक–19/03/2020

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/विद्युत कार्यपालक अभियंता, पावर हाउस, बरगंडा, गिरिडीह, झारखण्ड–815301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/20

विशेष कार्य पदाधिकारी